



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं/विवि/2025-26/274

विवि.आरईटी.आरईसी.193/12-01-001/2025-26

28 नवंबर 2025

**भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक
चलनिधि अनुपात) निदेश 2025 (22 जनवरी 2026 तक अद्यतन)**

विषयसूची

अध्याय I - प्रारंभिक	2
अध्याय II - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)	15
अध्याय III - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)	21
अध्याय IV - एसएलआर की गणना के लिए प्रक्रिया	24
अध्याय V - रिपोर्टिंग	25
अध्याय VI - दंड	29
अध्याय VII - निरसन और अन्य प्रावधान	31
अनुबंध - I	33
अनुबंध - II	38
अनुबंध - III	49

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 और समय-समय पर संशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 18, 24 और 56 के अनुसरण में, और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे आगे 'आरबीआई' या 'रिज़र्व बैंक' कहा जाएगा) को सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों/कानूनों के अनुसार, आरबीआई इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्वारा, इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I – प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) निदेश 2025 कहा जाएगा।
2. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. ये निदेश शहरी सहकारी बैंकों (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से 'बैंक' अथवा 'यूसीबी' और व्यक्तिगत रूप से 'बैंक' अथवा 'यूसीबी' कहा जाएगा) पर लागू होंगे।

इस संदर्भ में, 'शहरी सहकारी बैंक' से तात्पर्य प्राथमिक सहकारी बैंकों से है जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सीसीवी) के साथ पठित धारा 56 के तहत परिभाषित किया गया है।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के रखरखाव की सूचना निम्नलिखित सांविधिक रिटर्न के तहत आरबीआई को दी जाएगी:

(1) अनुसूचित सहकारी बैंकों के लिए **फॉर्म बी रिटर्न**।

(2) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत गैर-अनुसूचित सहकारी बैंकों के लिए **फॉर्म I रिटर्न**।

5. सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव की रिपोर्ट बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत सभी सहकारी बैंकों के लिए सांविधिक रिटर्न **फॉर्म I रिटर्न** (एसएलआर के लिए) के तहत आरबीआई को दी जाएगी।

सी. परिभाषाएँ

6. इन निदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें प्रयुक्त शब्दों का अभिप्राय नीचे दिए गए अनुसार होगा:

(1) 'समग्र जमाराशियों' का अर्थ है मांग और मीयादी जमाओं का योग।

(2) 'बचत बैंक खाते को मांग देयता और मीयादी देयता में प्रभाजन': बैंक निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार बचत बैंक खाते को मांग देयता और मीयादी देयता में प्रभाजन का कार्य करेगा:

(i) बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंक विनियमावली 1951 के विनियम 7 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च को कारोबार की समाप्ति की स्थिति के आधार पर अपनी बचत बैंक जमाओं के संबंध में मांग देयताओं और मीयादी देयताओं की अनुपात-गणना करनी होगी;

(ii) छमाही अवधि के दौरान प्रत्येक महीने में बनाए रखे गए न्यूनतम शेष राशि (प्रत्येक खाते में) का औसत बैंक द्वारा बचत बैंक जमाओं के "मीयादी देयता" को दर्शाने वाली राशि के रूप में माना जाएगा। जब ऐसी राशि आधे वर्ष की अवधि के दौरान बनाए रखे गए वास्तविक शेष राशि के औसत से घटा ली जाती है, तो बची राशि "मांग देयता" भाग को दर्शाएगी।

(iii) प्रत्येक छमाही के लिए प्राप्त मांग और मीयादी देयताओं के अनुपात को अगले आधे वर्ष के दौरान सभी रिपोर्टिंग पखवाड़े के लिए बचत बैंक जमा की मांग और मीयादी देयता घटकों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

(3) 'अनुमोदित प्रतिभूतियां/एसएलआर प्रतिभूतियां': निम्नलिखित प्रतिभूतियों को अनुमोदित प्रतिभूतियों (अनुमोदित प्रतिभूतियों को सामान्य रूप से एसएलआर प्रतिभूतियों के रूप में जाना जाता है) के रूप में माना जाएगा:

(i) बाजार उधारी कार्यक्रम और बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां;

(ii) भारत सरकार का खजाना बिल;

(iii) ¹बाजार उधारी कार्यक्रम के अंतर्गत समय-समय पर जारी राज्य सरकारों के राज्य विकास ऋण(एसडीएल)।

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित (जब कभी भी निर्धारित किया जाए) किया गया अन्य कोई लिखत।

व्याख्या:

¹ राज्य विकास ऋणों को अब राज्य सरकार प्रतिभूतियों के रूप में जाना जाता है।

(ए) फॉर्म बी रिटर्न के लिए, बैंकों को अपनी निवेश पुस्तिका के आधार पर अर्थात् भारग्रस्त प्रतिभूतियों सहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में कुल निवेश का विवरण देना चाहिए।

(बी) एसएलआर उद्देश्य के लिए, अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश का केवल भाररहित हिस्सा निर्दिष्ट एसएलआर आस्तियों की अर्हता प्राप्त करने योग्य होगा। हालांकि, निम्नलिखित एसएलआर प्रतिभूतियों को एसएलआर उद्देश्य के लिए भारग्रस्त प्रतिभूतियों के रूप में नहीं माना जाएगा और इसलिए वे भी विनिर्दिष्ट एसएलआर आस्ति की अर्हता प्राप्त करेंगे:

- (i) अग्रिम या किसी अन्य ऋण व्यवस्था के लिए किसी अन्य संस्थान के पास उस सीमा तक रखी गई प्रतिभूतियां जिन प्रतिभूतियों को आहारित नहीं किया गया है अथवा जिनको भुनाया नहीं गया है;
- (ii) संबंधित बैंक के आवश्यक एसएलआर पोर्टफोलियो के लिए निर्धारित भारत में कुल एनडीटीएल के अनुमेय प्रतिशत तक सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) से चलनिधि सहायता प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक को जमानत के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां;
- (iii) आरबीआई-एलएएफ और मार्केट रेपो लेनदेन के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्राप्त की गई प्रतिभूतियां।

(सी) भार-सहित अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के आधार पर किया जाएगा।

(डी) किसी सहकारी बैंक की 'भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों' में किसी अन्य संस्था के पास अग्रिम या किसी अन्य ऋण व्यवस्था के लिए उस सीमा तक जमा की गई अनुमोदित प्रतिभूतियां शामिल होंगी, जहां तक ऐसी प्रतिभूतियों को आहारित या उपयोग नहीं किया गया है।

(4) भारत में 'बैंकिंग प्रणाली' के पास आस्तियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) (क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास और (ख) अन्य सभी बैंकों और अधिसूचित वित्तीय संस्थानों के पास चालू खातों में 'बैंकिंग प्रणाली' के पास शेष राशि;
- (ii) अन्य सभी खातों में बैंकों और अधिसूचित वित्तीय संस्थानों के पास शेष राशि,
- (iii) एक पखवाड़े या उससे कम अवधि की 'मांग या अल्प सूचना पर प्रतिदेय जमा या ऋण के माध्यम से 'बैंकिंग प्रणाली' को उपलब्ध कराई गई निधि;
- (iv) 'बैंकिंग प्रणाली' को उपलब्ध कराए गए 'मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि' के अतिरिक्त अन्य ऋण; और
- (v) बैंकिंग प्रणाली से देय अन्य कोई राशि जिसे उपर्युक्त मदों में से किसी के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं

किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, अंतर-बैंक धनप्रेषण सुविधा योजना के मामले में, किसी बैंक द्वारा अन्य बैंकों के पास (ट्रांज़िट या अन्य खाते में) रखी गई कुल राशि को यहां दर्शाया जाएगा क्योंकि ऐसी राशियों को 'शेष' या 'मांग मुद्रा' या 'अग्रिम' के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(vi) इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी बैंक ने उधार व्यवस्था के लिए किसी अन्य बैंक के पास प्रतिभूतियाँ जमा की हैं, तो उधार लेने वाले बैंक को ऐसी प्रतिभूतियों या उनकी भार-रहित स्थिति को 'बैंकिंग प्रणाली' के समक्ष 'आस्तियों' के रूप में नहीं दर्शना चाहिए। इसी प्रकार, दर्शना प्राप्त करने वाले बैंक को भी उन्हें 'बैंकिंग प्रणाली' के समक्ष 'अन्य देनदारियों' के रूप में नहीं दर्शना चाहिए।

(vii) भारत में नकदी के रूप में रखी गई करेंसी, रुपये के नोट और सिक्के (यानी हाथ में नकदी) दर्शाने जाने चाहिए। हालांकि, बैंक में रखी विदेशी मुद्राओं को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

नोट:

(ए) यूसीबी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय संस्थानों को मुद्रा बाजार में दिए गए उधार को 'बैंकिंग प्रणाली' की आस्तियों के रूप में नहीं गिना जा सकता है। इसलिए, इन उधारों को 'बैंकिंग प्रणाली' के प्रति देनदारियों के मुकाबले निवल निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

- एक्ज़िम बैंक
- नाबार्ड
- सिडबी
- आईएफसीआई
- आईआईबीआई

(बी) इन वित्तीय संस्थानों से पुनर्वित्त के अलावा यूसीबी द्वारा लिया गया उधार अन्य के प्रति देयताओं का हिस्सा होना चाहिए और इसलिए आरक्षित आवश्यकताओं के उद्देश्य से निवल मांग और मीयादी देयताओं का हिस्सा होना चाहिए।

(5) 'औसत दैनिक शेष' का अर्थ है पखवाड़े के प्रत्येक दिन के कारोबार की समाप्ति पर बची शेष राशि का औसत।

(6) 'भारत में बैंक ऋण' का अर्थ सभी बकाया ऋण और अग्रिमों से होगा जिसके लिए प्रावधान किए गए हैं और/या पुनर्वित्त प्राप्त किया गया है {लेकिन दायित्व रहित पुनर्बट्टाकृत बिल और प्रधान कार्यालय स्तर पर बट्टे खाते में डाले गए अग्रिमों (यानी तकनीकी बट्टे खाते में डाले गए) के अतिरिक्त}।

(7) 'बैंकिंग प्रणाली' में निम्नलिखित बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल होंगे, अर्थात्:

- (i) (i) भारतीय स्टेट बैंक;
- (ii) संबंधित नए बैंक या आईडीबीआई बैंक लिमिटेड।
- (iii) राष्ट्रीयकृत बैंक
- (iv) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड (सी) में परिभाषित बैंकिंग कंपनियों। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: –

(ए) निजी क्षेत्र के बैंक

(बी) विदेशी बैंक

नोट: जिन विदेशी बैंकों की भारत में कोई शाखा नहीं है, वे 'बैंकिंग प्रणाली' का हिस्सा नहीं हैं।

- (v) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के खंड (सीसीआई) में परिभाषित सहकारी बैंक (सीआरआर के लिए डीटीएल की गणना हेतु अनुसूचित यूसीबी पर लागू)

नोट: सहकारी भूमि बंधक/विकास बैंक 'बैंकिंग प्रणाली' का हिस्सा नहीं हैं।

- (vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक;
- (vii) केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर लागू) की धारा 18 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के तहत अधिसूचित अन्य वित्तीय संस्थाएँ, यदि कोई हों।

नोट: यूसीबी के लिए निर्धारित फॉर्म बी और फॉर्म I के प्रयोजन के लिए 'बैंकिंग प्रणाली' में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे:

(ए) एक्ज़िम बैंक

(बी) नाबार्ड

(सी) सिडबी

(डी) आईएफसीआई

(ई) आईआईबीआई

(8) यूसीबी द्वारा रखी जाने वाली 'नकदी' में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) सहकारी बैंक द्वारा, जो एक अनुसूचित बैंक है, रखी गई हाथ में नकदी,
- (ii) किसी सहकारी बैंक द्वारा, जो अनुसूचित बैंक नहीं है, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 18 के साथ पठित धारा 56 के अंतर्गत रखी जाने वाली अपेक्षित नकदी या शेष राशि से अधिक रखी गई हाथ में नकदी;
- (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 के अंतर्गत किसी सहकारी

बैंक द्वारा, जो अनुसूचित बैंक है, रिज़र्व बैंक के पास बनाए रखे जाने वाली शेष राशि से अधिक की कोई भी शेष राशि;

- (iv) किसी सहकारी बैंक द्वारा, जो अनुसूचित बैंक नहीं है, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पास उसके द्वारा रखी जाने वाली शेष राशि से अधिक रखी गई कोई भी शेष राशि;
- (v) बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण में परिभाषित, उक्त धारा के अंतर्गत उसके द्वारा बनाए रखे जाने वाले शेष से अधिक, "चालू खातों में निवल शेष"; और
- (vi) स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत सहकारी बैंक द्वारा आरबीआई के पास रखी गई कोई भी शेष राशि।

नोट: यदि सहकारी बैंक ने संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक या संबंधित जिले के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में रखी गई किसी शेष राशि के विरुद्ध अग्रिम लिया है, तो ऐसी शेष राशि, जिस सीमा तक उससे अग्रिम राशि निकाली गई है या जितनी ली गई है, उसे भारत में रखी गई नकदी नहीं माना जाएगा।

- (9) 'भारत में नकदी/हाथ में नकदी' में बैंक शाखाओं/एटीएम/बैंक द्वारा रखे गए नकद जमा मशीनों में रखे गए कुल रुपये के नोट और सिक्के शामिल होंगे, जिनमें बैंक बहियों में अंतरण में शामिल नकदी के साथ-साथ कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) के पास उपलब्ध नकदी भी शामिल है, लेकिन जहां नकदी का भौतिक कब्जा आउटसोर्स विक्रेताओं/बीसी के पास है, जो बैंक के एटीएम में वापस मंगाया नहीं जाता है और/या बैंक की खाता बहियों में परिलक्षित नहीं होता है; उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। नकद में अन्य बैंकों के पास जमा राशि या बैंक नोटों/करेंसी नोटों, रुपये के सिक्कों (एक रुपये के नोट सहित) और रजिस्टर में दर्ज किए जाने की तिथि पर प्रचलन में रहे सहायक सिक्कों के अलावा कोई अन्य वस्तु शामिल नहीं होनी चाहिए।

नोट: यूसीबी के लिए राशि की गणना करते समय, निम्नलिखित को भारत में रखी गई नकदी माना जाएगा, अर्थात्:

- (i) भारत में किसी सहकारी बैंक द्वारा स्वयं के पास या संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक के पास, या भारतीय रिज़र्व बैंक के चालू खाते में, या चालू खातों में निवल शेष के रूप में रखी गई कोई भी नकदी या शेष राशि और प्राथमिक सहकारी बैंक के मामले में, संबंधित जिले के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के पास रखी गई कोई भी शेष राशि, जो धारा 18 के तहत रखी जाने वाली

नकदी या शेष राशि के कुल योग से अधिक हो;

(ii) चालू खाते में कोई भी निवल शेष राशि।

(10) 'संबंधित नए बैंक' से बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 अथवा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अंतर्गत गठित संबंधित नए बैंक से अभिप्रेत है।

(11) चालू जमा में शामिल होंगे (i) मांग जमा जिसके लिए 14 दिन या उससे कम की सूचना अवधि की आवश्यकता होती है (ii) नकदी ऋण खाते में जमा शेष राशि, (iii) परिपक्व हो चुकी लेकिन आहरीत नहीं की गई सावधि जमा आदि।

(12) 'मांग जमा' का अर्थ बैंक द्वारा प्राप्त जमा होगा जो मांग पर वापस लिया जा सकता है और इसमें चालू जमा, बचत जमाओं का मांग वाला भाग, ओवरड्राफ्ट में जमा शेष, नकद ऋण खाते, मांग पर देय जमा, अतिदेय जमा, नकद प्रमाण पत्र आदि शामिल होंगे।

(13) 'मांग देयताओं' का अर्थ बैंक की देयताओं से होंगी जो मांग पर देय हैं और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) चालू जमा,
- (ii) बचत बैंक जमाओं की मांग देनदारियों का हिस्सा,
- (iii) साख/गारंटी पत्रों के बदले रखा गया मार्जिन,
- (iv) अतिदेय सावधि जमा, नकदी प्रमाणपत्र और संचयी/आवर्ती जमा में शेष राशि,
- (v) बकाया तार अंतरण (टीटी), डाक अंतरण (एमटी), मांग ड्राफ्ट (डीडी),
- (vi) बिना दावा वाले जमा,
- (vii) नकद ऋण खाते में नकदी शेष,
- (viii) मांग पर देय अग्रिमों के लिए जमानत के रूप में रखी गई जमाराशियाँ।

स्पष्टीकरण: बैंकिंग प्रणाली के बाहर से मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि को अन्य के लिए देयता के बदले दिखाया जाएगा।

(14) 'सावधि जमा' में निम्न शामिल होंगे (i) कर्मचारी भविष्य निधि जमा, (ii) स्टाफ प्रतिभूति जमा, (iii) आवर्ती जमा, (iv) नकद प्रमाणपत्र, (v) 14 दिनों से अधिक की सूचना अवधि की आवश्यकता वाले मांग जमा, (vi) भविष्य निधि जमा, (vii) संविदाकारों की बयाना जमा-राशि आदि जैसे अन्य विविध जमा।

(15)²'पखवाड़ा' से तात्पर्य प्रत्येक कैलेंडर माह के पहले दिन से पंद्रहवें दिन तक या प्रत्येक कैलेंडर माह के सोलहवें दिन से अंतिम दिन तक की अवधि से है, जिसमें दोनों दिन शामिल हैं।

(16) अंतर-शाखा खाते:

- (i) अंतर-शाखा खाते में निवल शेष, जब वह क्रेडिट में हो, तो उसे 'अन्य देयताओं और प्रावधानों' के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए, जिसे सीआरआर और एसएलआर प्रयोजन के लिए कुल मांग और मीयादी देयताओं में शामिल किया जाता है।
- (ii) बैंक को अंतर-शाखा खाते में पांच साल से अधिक समय से बकाया क्रेडिट प्रविष्टियों को 'अवरुद्ध खाता' के रूप में अलग करना चाहिए और इसे 'अन्य देयताओं और प्रावधानों' के अंतर्गत 'अन्य' के तहत दर्शाया जाना चाहिए। इसके बाद, अंतर-शाखा लेनदेन की निवल राशि की गणना करते समय, यदि लेनदेन क्रेडिट में है तो उसे 'अन्य देयताओं और प्रावधानों' के अंतर्गत, या यदि नामे में है तो 'अन्य आस्तियों' के अंतर्गत शामिल करने के लिए, 'अवरुद्ध खाते' की कुल राशि को बाहर रखा जाना चाहिए और केवल शेष क्रेडिट प्रविष्टियों को दर्शाने वाली राशि को नामे प्रविष्टियों के साथ निवल निर्धारण किया जाना चाहिए। इस प्रकार, भले ही अंतर-शाखा प्रविष्टियों का निवल नामे शेष हो, सीआरआर और एसएलआर के रखरखाव के प्रयोजन से 'अवरुद्ध खाते' में शेष राशि की गणना की जाएगी।

(17) 'भारत में निवेश' में अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों (नीचे दिए गए व्याख्या अनुसार) में निवेश शामिल होगा। इनमें बैंक की निवेश पुस्तिका के अनुसार ऋण भाररहित और ऋण भाररहित दोनों प्रतिभूतियां शामिल होंगी।

(आरबीआई-एलएएफ और मार्केट रेपो के अंतर्गत बैंकों द्वारा अधिग्रहीत प्रतिभूतियों के अतिरिक्त)।

(18) 'भारत में अन्य सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश' का अर्थ ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से होगा जो अनुमोदित प्रतिभूतियां नहीं {जैसे उदय बांड के रूप में जारी राज्य विकास ऋण (एसडीएल)} हैं।

(19) 'भारत में देयताओं' में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे:

- (i) सहकारी बैंक की चुकता पूंजी या आरक्षित निधि या, उसके लाभ और हानि खाते में कोई भी जमा राशि;
- (ii) किसी प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक या संबंधित जिले के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से लिया गया कोई भी अग्रिम;

² दिनांक 11 दिसंबर 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) (संशोधन) निदेश 2025 द्वारा 15 दिसंबर 2025 को संशोधित किया गया।

- (iii) किसी राज्य सरकार, रिज़र्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिया गया कोई भी अग्रिम।
- (iv) किसी सहकारी बैंक द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध लिए गए और उपयोग किए गए किसी भी अग्रिम या अन्य ऋण समझौते की राशि;
- (v) किसी भी सहकारी बैंक के मामले में, जिसने अपने पास रखी किसी भी शेष राशि के विरुद्ध अग्रिम राशि दी है, ऐसी शेष राशि उस अग्रिम राशि के संबंध में बकाया राशि की सीमा तक होगी।

(20) 'बैंकिंग प्रणाली' के प्रति देयताओं में निम्नलिखित शामिल हैं: -

- (i) बैंकों की जमा राशि।
- (ii) बैंकों से लिए गए उधार (मांग मुद्रा / सूचना पर देय जमाराशियां)।
- (iii) बैंकों के प्रति अन्य विविध देयताओं की मदें जैसे बैंकों को जारी किए गए सहभागिता प्रमाणपत्र, बैंक जमा पर अर्जित ब्याज आदि।

नोट: बैंक की 'बैंकिंग प्रणाली' के प्रति देयताओं को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् 'मांग देयताएं' और 'मीयादी देयताएं'।

(ए) 'बैंकिंग प्रणाली' के प्रति 'मांग देयताओं' को आगे निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

— एसबीआई और राष्ट्रीयकृत बैंकों के चालू खातों में शेष राशि

— अन्य मांग देनदारियों में निम्न शामिल हैं:

- आरआरबी, बैंकिंग कंपनियों अर्थात् निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक, सहकारी बैंक (सीआरआर के लिए डीटीएल की गणना हेतु अनुसूचित यूसीबी पर लागू) और अन्य 'अधिसूचित' वित्तीय संस्थानों के चालू खातों में शेष राशि
- उपर्युक्त बैंकों की अतिदेय आवधिक जमाराशियों का बकाया।
- बैंकों को जारी किए गए मांग पर देय सहभागिता प्रमाणपत्र
- बैंकों (आरआरबी) की जमा राशि पर अर्जित ब्याज*
- बैंकों से मांग मुद्रा उधार
- 'बैंकिंग प्रणाली' की परिभाषा के अंतर्गत

(बी) 'बैंकिंग प्रणाली' के प्रति सावधि देयताओं में निम्न शामिल हैं-

— बैंकों द्वारा सभी प्रकार की सावधि जमाराशियां

— बैंकों से प्राप्त जमा प्रमाणपत्र

- बैंकों को जारी किए गए सहभागिता प्रमाणपत्र जो मांग पर देय नहीं होते हैं
- बैंकों की सावधि जमा/सीडी पर अर्जित ब्याज *

'बैंकिंग प्रणाली' की परिभाषा के अंतर्गत

* यदि इस राशि को जमा पर अर्जित ब्याज से वर्गीकृत/पृथक करना संभव नहीं है, तो कुल अर्जित ब्याज को 'अन्य मांग और मीयादी देयताओं' के अंतर्गत दर्शाया जा सकता है।

(21) 'नकदी समायोजन सुविधा (एलएएफ)' से तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर संचालित नियत और परिवर्ती दर वाले रेपो परिचालन (चलनिधि के अंतर्वेशन के लिए) और रिवर्स रेपो परिचालन (चलनिधि के अवशोषण के लिए) से होगा।

(22) 'सीमांत स्थायी सुविधा' का अर्थ यह होगा कि पात्र बैंक अतिरिक्त एसएलआर धारिता के बदले में रिज़र्व बैंक से चलनिधि सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे द्वितीय पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम दिन को अपने संबंधित एनडीटीएल शेष के एक निश्चित प्रतिशत तक, अपने निर्धारित एसएलआर को कम करके एक दिवसीय चलनिधि का लाभ भी उठा सकते हैं। एमएसएफ के तहत ब्याज दर एलएएफ रेपो दर से ऊपर होगी, जैसा कि आरबीआई द्वारा समय-समय पर तय किया गया है।

(23) 'बाजार उधार कार्यक्रम' का अर्थ सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006, लोक ऋण अधिनियम, 1944 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित और इस संबंध में जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए अनुसार नीलामी या किसी अन्य विधि के माध्यम से इन अधिनियमों के अधीन बनाए गए विनियमों के अंतर्गत भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जनता से जुटाए गए और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बाजार योग्य प्रतिभूतियां जारी करके प्रबंधित घरेलू रुपये के ऋण होगा।

(24) 'चालू खातों में निवल शेष' का वही अर्थ होगा जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 के स्पष्टीकरण (ग) में दिया गया है अर्थात्, किसी सहकारी बैंक के संबंध में, "चालू खातों में निवल शेष" का अर्थ उस सहकारी बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक या किसी संबंधित नए बैंक या आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के साथ रखे गए चालू खातों में जमा शेषों के कुल योग और उक्त बैंकों द्वारा ऐसे सहकारी बैंक के साथ रखे गए चालू खातों में जमा शेषों के कुल योग के बीच का अंतर होगा।

(25) 'निवल देयताएं': सीआरआर और एसएलआर के प्रयोजन के लिए देयताओं की गणना करते समय, भारत में 'बैंकिंग प्रणाली' में अन्य बैंकों के प्रति बैंक की निवल देयताओं की गणना की जाएगी, अर्थात्, भारत में 'बैंकिंग प्रणाली' में अन्य बैंकों के पास मौजूद आस्तियों को 'बैंकिंग प्रणाली' के प्रति कुल देयताओं

से घटाया जाएगा।

(26) 'अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों' से तात्पर्य ऊपर पैराग्राफ 6(3) में उल्लिखित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त, अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में अधिसूचित अन्य सरकारी प्रतिभूतियों से है।

(27) 'अन्य मांग और आवधिक देयताएँ (ओडीटीएल)' में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) जमाओं पर अर्जित ब्याज, देय बिल, बकाया लाभांश, अन्य बैंकों या जनता को बकाया राशि से संबंधित उचंत खाता शेष, शाखा समायोजन खाते में निवल जमा शेष और बैंकिंग प्रणाली में बकाया अन्य कोई ऐसी राशि जो जमा या ऋण की श्रेणी में नहीं है।
- (ii) अंतर-शाखा समायोजन खाते में पांच वर्ष से अधिक समय से अलग-अलग बकाया ऋण प्रविष्टियों से संबंधित अवरुद्ध खाते में बकाया राशि, खरीदे गए/भुनाये गए बिलों पर मार्जिन राशि और विदेशों से बैंकों द्वारा उधार लिए गए सोने का अंतर। वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित रुपये-डॉलर संदर्भ दर के साथ गोल्ड/यूएसडी दर के लिए लंदन एएम फिक्सिंग के क्रॉसिंग के माध्यम से सोने का रूपांतरण दर रुपये में करके किया जाना है।
- (iii) अपर टियर 2 और टियर 2 पूंजी के लिए पात्रता रखने वाले लिखतों के माध्यम से उधार।
- (iv) 'अन्य मांग देयताओं' और 'अन्य मीयादी देयताओं', जैसा भी मामला हो, में दस वर्षों से अधिक समय से दावा न की गई जमाराशियां, बाहरी देयताओं की प्रकृति के प्रावधान (जैसे आयकर और अन्य देय करों के लिए प्रावधान, देय लेखापरीक्षा शुल्क, देय स्थापना शुल्क आदि), देय ब्याज, देय बोनस, देय बिल, देय लाभांश, शेयर उचंत, अन्य उचंत और विविध मदें (जो बाहरी देयताएं हैं) आदि शामिल होंगी।

व्याख्या:

(ए) ऐसी देयताएँ अन्य बैंकों की ओर से बिलों की वसूली, अन्य बैंकों को देय ब्याज आदि जैसी मदों के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। यदि कोई बैंक 'अन्य मांग देयताओं' और 'मीयादी देयताओं' के कुल योग से 'बैंकिंग प्रणाली' के प्रति देयताओं को अलग नहीं कर सकता है, तो संपूर्ण 'अन्य मांग देयताओं' और 'मीयादी देयताओं' को मद 'भारत में अन्य के प्रति देयताओं' के अंतर्गत दर्शाया जा सकता है:

- मांग देयताएं, और
- मीयादी देयताएं, जैसा भी मामला हो।

(बी) इस मद के अंतर्गत केवल मांग और मीयादी उधार दर्शाये जाने चाहिए, सिवाय उन उधारों

के जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 18(आई) की व्याख्या के खंड (ए) (ii) और (iii) के अंतर्गत बहिष्कृत हैं।

(सी) समपार्श्विक व्युत्पन्नी लेनदेन के अंतर्गत प्राप्त नकदी समपार्श्विक को आरक्षित अपेक्षाओं के उद्देश्य से बैंक के एनडीटीएल में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये 'बाह्य देयताओं' की प्रकृति के हैं। जमा पर अर्जित ब्याज की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग पखवाड़े (विभिन्न प्रकार के खातों पर लागू ब्याज गणना विधियों के अनुसार) पर की जानी चाहिए ताकि इस संबंध में बैंक की देयता उसी पाक्षिक विवरणी के कुल एनडीटीएल में उचित रूप से परिलक्षित हो।

(डी) बैंक को खरीदे/भुनाए गए बिलों पर मार्जिन राशि को बाहरी देयताओं के रूप में मानने में एक समान प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और आरक्षित निधि आवश्यकताओं के रखरखाव के उद्देश्य से इसे अन्य मांग और मीयादी देयताओं में शामिल करना चाहिए।

(ई) सभी जमा खातों (जैसे, बचत, सावधि, आवर्ती, नकद प्रमाणपत्र, पुनर्निवेश योजनाएं, आदि) पर अर्जित ब्याज को, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, बैंक द्वारा सीआरआर और एसएलआर बनाए रखने के उद्देश्य से अपनी देयता के रूप में माना जाना चाहिए, भले ही अर्जित ब्याज वास्तव में देय हो गया हो या जमाराशि की वापसी की नियत तारीखों तक देय न हो।

(एफ) जमाराशियों पर अर्जित ब्याज को 'अन्य मांग और मीयादी देयताओं' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

(28) 'प्राथमिक सहकारी बैंक' का अर्थ प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी के अलावा ऐसी सहकारी सोसाइटी होगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हो:

- (i) जिसका प्राथमिक उद्देश्य या प्रमुख कारोबार बैंकिंग कारोबार का लेन-देन है;
- (ii) जिसकी चुकता शेयर पूंजी और आरक्षित निधियां एक लाख रुपए से कम नहीं हैं; और
- (iii) जिसके उपनियम किसी अन्य सहकारी सोसाइटी को सदस्य के रूप में प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं:

बशर्ते कि यह उपधारा किसी सहकारी बैंक को सदस्य के रूप में प्रवेश देने पर लागू नहीं होगी, क्योंकि ऐसा सहकारी बैंक राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों में से ऐसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी में अभिदाय करता है।

(29) 'अनुसूचित बैंक' का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक।

(30) 'राज्य सहकारी बैंक' का अर्थ किसी राज्य में ऐसी प्रधान सहकारी सोसाइटी होगा, जिसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य में अन्य सहकारी सोसाइटियों का वित्तपोषण है:

बशर्ते कि किसी राज्य में ऐसी प्रधान सोसाइटी के अतिरिक्त, अथवा जहां किसी राज्य में ऐसी प्रधान सोसाइटी नहीं है, राज्य सरकार उस राज्य में कारोबार करने वाली किसी एक या एक से अधिक सहकारी सोसाइटियों को भी इस परिभाषा के अर्थ के भीतर राज्य सहकारी बैंक होने की घोषणा कर सकती है;

(31) 'सावधि जमा' का अर्थ मांग जमा के अतिरिक्त अन्य कोई जमा होगा।

(32) 'आवधिक देयताएं' : बैंक की मांग देयताओं को छोड़कर अन्य देयताएं आवधिक देयताएं होंगी और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i. सावधि जमा,
- ii. नकद प्रमाणपत्र,
- iii. संचयी और आवर्ती जमा,
- iv. बचत बैंक जमाओं की आवधिक देयताओं वाला भाग,
- v. स्टाफ की जमानत जमाराशि,
- vi. ऋण पत्र के बदले रखा गया ऐसा मार्जिन जो मांग पर देय नहीं है,
- vii. अग्रिमों के लिए प्रतिभूतियों के रूप में रखी गई ऐसी जमाराशियाँ जो मांग पर देय नहीं हैं,
- viii. उपर्युक्त पैरा 6(19)(v) के अधीन अग्रिमों के लिए प्रतिभूति के रूप में रखी गई नियत जमाराशि,
- ix. जमा सोना।

(33) इसमें प्रयुक्त अन्य अभिव्यक्तियाँ, जो यहां परिभाषित नहीं हैं किन्तु बैंककारी विनियमन अधिनियम या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम या उसके लिए या वाणिज्यिक भाषा में उपयोग किए जाने वाले किसी सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के अंतर्गत उन्हें सौंपा गया है, का स्थिति के अनुसार वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में है।

अध्याय II - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)

ए. आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)

7. प्रत्येक बैंक भारत में आरक्षित नकदी निधि के माध्यम से अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के कुल प्रतिशत के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर राशि, इस तरह और ऐसी तारीखों के लिए रखेगा, जैसा कि रिज़र्व बैंक देश में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) और बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 18 (1) [सहकारी बैंकों पर लागू बैंककारी अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधानों सहित] के अनुसार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करेगा।

बी. वृद्धिशील सीआरआर

8. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के संदर्भ में, रिज़र्व बैंक अनुसूचित बैंकों से अधिनियम की धारा 42(1) के अंतर्गत निर्धारित शेष के अतिरिक्त एक अतिरिक्त औसत दैनिक शेष बनाए रखना अनिवार्य कर सकता है, जिसकी राशि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में निर्दिष्ट दर से कम नहीं होगी।

बशर्ते कि इस प्रकार की अतिरिक्त शेष राशियों की गणना अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि को कारोबार की समाप्ति पर बैंक की कुल एनडीटीएल के ऊपर उसकी अतिरिक्त एनडीटीएल राशि के संदर्भ में की जाएगी, जैसा कि आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) में संदर्भित विवरणी में दिखाया गया है।

सी. सीआरआर का रखरखाव

9. भारत में प्रत्येक अनुसूचित बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास एक औसत दैनिक शेष बनाए रखना होगा, जिसकी राशि उसके दूसरे पखवाड़े के अंतिम दिन को उसके एनडीटीएल के 3.75 प्रतिशत, 3.5 प्रतिशत, 3.25 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत से कम नहीं होगी, जो क्रमशः 6 सितंबर, 4 अक्टूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर 2025 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से प्रभावी होगी।

10. प्रत्येक सहकारी बैंक (जो अनुसूचित सहकारी बैंक नहीं है) भारत में दैनिक आधार पर स्वयं के पास नकद आरक्षित निधि के रूप में; या रिज़र्व बैंक या संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक के पास चालू खाते में शेष के रूप में; या चालू खातों में निवल शेष के रूप में; या प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक के मामले में, संबंधित जिले के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में शेष राशि; या एक या अधिक उपर्युक्त तरीकों से नकदी बनाए रखेगा, जिसकी राशि पूर्ववर्ती दूसरे पखवाड़े के अंतिम दिन तक उसके एनडीटीएल के 3.75 प्रतिशत, 3.5 प्रतिशत, 3.25 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत से कम नहीं होगी, जो कि

क्रमशः 6 सितंबर, 4 अक्टूबर, 1 नवंबर और 29 नवंबर 2025 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से प्रभावी होगी।

डी. दैनिक आधार पर न्यूनतम सीआरआर बनाए रखना

11. प्रत्येक अनुसूचित बैंक रिपोर्टिंग पखवाड़े के दौरान सभी दिनों में न्यूनतम सीआरआर को आवश्यक सीआरआर के 90 प्रतिशत से कम नहीं बनाए रखेगा, इस तरह से कि प्रतिदिन बनाए गए सीआरआर का औसत रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीआरआर से कम नहीं होगा।

ई. निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) की गणना

12. किसी बैंक की एनडीटीएल में (क) अनुसूचित बैंकों के लिए आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42 या गैर-अनुसूचित सहकारी बैंकों के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 18 के साथ पठित धारा 56 में परिभाषित बैंकिंग प्रणाली के पास निवल आस्तियों के लिए बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं (ख) मांग और सावधि जमा या उधार या देयताओं की अन्य विविध मदों के रूप में दूसरों के प्रति देयताएं शामिल हैं।

13. इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, रिज़र्व बैंक किसी भी लेनदेन या लेन-देन के वर्ग के संदर्भ में समय-समय पर यह निर्दिष्ट कर सकता है कि इस तरह के लेनदेन या लेनदेन को बैंक के भारत में देयता के रूप में माना जाएगा।

14. यदि कोई प्रश्न उठता है कि इन निदेशों के उद्देश्य से क्या किसी लेन-देन या एकाधिक लेन-देन को किसी बैंक के भारत में देयता के रूप में माना जाएगा, तो इस संबंध में बैंक आरबीआई से संपर्क करेगा। इस पर रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

15. भारत में बैंकों द्वारा विदेशों से प्राप्त ऋण/उधार को 'दूसरों के लिए देयताओं' के रूप में गिना जाएगा और यह आरक्षित आवश्यकताओं के अधीन होगा। दूसरी ओर, विदेशों में बैंकों द्वारा दिये गए ऋण को बैंकिंग प्रणाली की आस्ति के रूप में नहीं माना जाएगा और इसलिए अंतर-बैंक देयताओं से इन्हें घटाकर समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16. भारत/विदेशों में लिए गए और बनाए गए अपर टियर II लिखतों को आरक्षित आवश्यकताओं के उद्देश्य से एनडीटीएल की गणना के लिए देयता के रूप में गिना जाएगा।

17. धनप्रेषण सुविधा योजना के अंतर्गत अपने प्रतिनिधि बैंक के नामे स्वीकारकर्ता बैंक द्वारा जारी किए गए ड्राफ्ट के संबंध में शेष राशि और शेष बकाया राशि को एनडीटीएल की गणना के लिए 'भारत में दूसरों के लिए देयता' के रूप में गिना जाएगा। प्रतिनिधि बैंकों द्वारा प्राप्त राशि को 'बैंकिंग प्रणाली के

लिए देयता' के रूप में गिना जाएगा और इस देयता को अंतर-बैंक आस्तियों के बदले प्रतिनिधि बैंकों द्वारा समायोजित किया जा सकता है।

18. ड्राफ्ट जारी करने/ब्याज/लाभांश वारंट जारी करने के लिए बैंकों द्वारा रखी गई राशि को 'बैंकिंग प्रणाली के पास आस्ति' माना जाएगा और बैंकों के पास उन्हें अपनी अंतर-बैंक देयताओं के साथ समायोजित करने का विकल्प होगा।

19. अनुसूचित बैंकों द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च को कारोबार की समाप्ति पर उनकी बचत बैंक जमा के संबंध में मांग देयताओं और आवधिक देयताओं के अनुपात की गणना दैनिक उत्पाद आधार पर बचत बैंक जमा पर ब्याज लागू करना जारी रहेगा।

एफ. एनडीटीएल गणना के लिए देयताओं को शामिल नहीं किया जाना

20. नीचे उल्लिखित देयताएं सीआरआर और एसएलआर के प्रयोजन के लिए किसी बैंक की देयताओं का हिस्सा नहीं होंगी:

(1) टियर 1 और अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के लिए अर्हक लिखतों के माध्यम से प्रदत्त पूंजी, आरक्षित निधियां, उधारी; बैंक के लाभ और हानि खाते में कोई जमा शेष; आरबीआई, एक्ज़िम बैंक, एनएचबी, नाबार्ड और सिडबी से लिए गए किसी भी ऋण / पुनर्वित्त की राशि।;

बशर्ते कि जारी करने के लिए बैंक या अन्य बैंकों की विभिन्न शाखाओं द्वारा एकत्र की गई धनराशि और अतिरिक्त टियर 1 वरीयता शेयरों के आवंटन को अंतिम रूप देने के लिए लंबित रखने के लिए आरक्षित आवश्यकताओं की गणना के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(2) किसी प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा राज्य सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक या संबंधित जिले के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से लिया गया कोई भी अग्रिम, साथ ही अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध आहरित या लिया गया कोई भी अग्रिम या ऋण समझौता। किसी प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा अपने पास रखे गए किसी शेषराशि के विरुद्ध दिए गए अग्रिम के मामले में, ऐसे अग्रिम के संबंध में बकाया राशि की सीमा तक ऐसी शेषराशि को एसएलआर (अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक के मामले में) तथा सीआरआर और एसएलआर दोनों (अन्य प्राथमिक सहकारी बैंकों के मामले में) के लिए एनडीटीएल गणना से बाहर रखा जाएगा;

(3) किसी अनुसूचित सहकारी बैंक द्वारा एनएबीएफआईडी और ³आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 2 (सीसीसीआईआई) में परिभाषित अन्य विकास वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण/पुनर्वित्त को केवल

³ दिनांक 22 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) संशोधन निदेश 2026 द्वारा 22 जनवरी 2026 को संशोधित किया गया।

सीआरआर (एसएलआर के लिए नहीं) के लिए एनडीटीएल गणना से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा, किसी गैर-अनुसूचित सहकारी बैंक द्वारा एनएबीएफआईडी और आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 2 (सीसीसीआईआई) में परिभाषित अन्य विकास वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण/पुनर्वित्त को सीआरआर / एसएलआर के लिए एनडीटीएल गणना से बाहर नहीं रखा जाएगा;

- (4) निवल आयकर प्रावधान;
- (5) दावों के प्रति डीआईसीजीसी से प्राप्त और उसके समायोजन के लिए बैंक द्वारा धारित राशि;
- (6) गारंटी लागू करके निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त राशि;
- (7) न्यायालय के निर्णय के लंबित दावों के तदर्थ निपटान पर बीमा कंपनी से प्राप्त राशि;
- (8) न्यायालयीन रिसीवर से प्राप्त राशि;
- (9) बैंकर स्वीकृति सुविधा (बीएएफ) के तहत सीमाओं के उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाली देयताएँ;
- (10) ग्रामीण गोदामों के निर्माण/नवीनीकरण/विस्तार के लिए निवेश सहायकी योजना के तहत नाबार्ड द्वारा जारी सहायकी;
- (11) केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी सहायकी जो शून्य प्रतिशत सावधि जमा खाते में रखी जाती है, यदि सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित नियम/शर्तें और शून्य प्रतिशत एफडीआर खाते को दिया गया लेखा/परिचालन उपचार शून्य प्रतिशत सहायकी रिज़र्व फंड खाते के समान है;
- (12) व्यापारिक निवेश-सूची के तहत व्युत्पन्नी लेनदेन से होने वाला निवल अप्राप्त लाभ/हानि;
- (13) अग्रिम रूप से प्राप्त आय प्रवाह जैसे वार्षिक शुल्क और अन्य शुल्क जो वापसी योग्य नहीं हैं;
- (14) आरबीआई द्वारा अनुमोदित पात्र वित्तीय संस्थानों के साथ एक बैंक द्वारा पुनर्बट्टाकृत बिल, और
- (15) पात्र बैंकों द्वारा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) से दावों और उसके लंबित समायोजनों के लिए गारंटी का उपयोग करके प्राप्त राशि।

जी. छूट प्राप्त श्रेणियाँ

21. अनुसूचित बैंकों को निम्नलिखित देयताओं पर सीआरआर बनाए रखने से छूट दी गई है:
 - (1) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) (डी) में परिभाषित बैंकिंग प्रणाली के साथ आस्तियों से बैंकिंग प्रणाली की देयताओं का निवल निम्नानुसार है:
 - (i) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के स्पष्टीकरण के खंड (डी) के तहत गणना के

अनुसार बैंकिंग प्रणाली के लिए देयताएं।

किसी अनुसूचित बैंक की निम्नलिखित के प्रति 'देयताओं' का कुल योग:

(ए) भारतीय स्टेट बैंक,

(बी) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 द्वारा गठित कोई संबंधित नया बैंक और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 द्वारा गठित कोई संबंधित नया बैंक,

(सी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 3 के तहत स्थापित कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,

(डी) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (सी) में परिभाषित कोई बैंकिंग कंपनी,

(ई) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के खंड (सीसीआई) में परिभाषित सहकारी बैंक, और

(एफ) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्थान

अनुसूचित बैंक को ऐसे सभी बैंकों और संस्थानों की देयताओं के योग से कम किया जाएगा।

(2) एशियाई क्लियरिंग यूनियन (एसीयू) (यूएस\$) खातों में जमा शेष;

(3) सरकारी प्रतिभूतियों के प्रति बाजार रेपो के अंतर्गत उधार ली गई निधियां;

(4) बैंकों को सूचित किया जाता है कि 30 जुलाई 2022 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से, बैंकों द्वारा जुटाई गई 1 जुलाई 2022 की आधार तिथि के संदर्भ में वृद्धिशील एफसीएनआर (बी) जमा और साथ ही एनआरई मीयादी जमा को सीआरआर और एसएलआर के रखरखाव से छूट दी गई है। यह छूट 04 नवंबर 2022 तक जुटाई गई जमा राशि के लिए वैध हैं। आरक्षित निधि रखरखाव पर छूट मूल जमाराशियों के लिए तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कि जमाराशियां बैंक की बहियों में न रखी जाए।

एच. सीआरआर गणना

22. बैंकों द्वारा नकदी प्रबंधन में सुधार के लिए, सरलीकरण के उपाय के रूप में, बैंकों को दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम दिन के एनडीटीएल के आधार पर सीआरआर बनाए रखने के लिए एक पखवाड़े के अंतराल की अनुमति है।

23 भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित यूसीबी द्वारा रखे गए सीआरआर शेष पर कोई ब्याज नहीं देता है।

आई. एफसीएनआर (बी) जमाराशियों और अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा (आईबीएफसी) जमाराशियों में से ऋण

24. इन निदेशों के प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों (बैंकों), (एफसीएनआर [बी] जमा योजना) और अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा (आईबीएफसी) जमाराशियों में से ऋण को बैंक ऋण के हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा। बैंक वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित रूपांतरण दर का उपयोग इन निदेशों के पैरा 4 और पैरा 5 में उल्लिखित सांविधिक विवरणी में रिपोर्टिंग के लिए विदेशी आस्तियों/देयताओं को परिवर्तित करने के उद्देश्य से करेंगे। अन्य मुद्राओं में आस्तियों/देयताओं के रूपांतरण के लिए, बैंक ऐसी मुद्राओं को यूएसडी में परिवर्तित करने के लिए रिपोर्टिंग दिन के दिन के अंत से संबंधित न्यूयॉर्क क्लोजिंग दर का उपयोग कर सकते हैं और फिर आईएनआर में रूपांतरण के लिए उसी दिन यूएसडी/आईएनआर के लिए एफबीआईएल की संदर्भ दर का उपयोग कर सकते हैं।

अध्याय III - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

ए. सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

25. प्रत्येक बैंक, इन निदेशों के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक आरक्षित नकदी निधि के अलावा, भारत में, आस्तियों, जिसका मूल्य दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम दिन को भारत में उसकी मांग और मीयादी देयताओं के कुल प्रतिशत के चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगा, बनाए रखेगा, जैसा कि रिज़र्व बैंक, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे और ऐसी आस्तियों का अनुरक्षण ऐसे रूप में और ऐसी रीति में किया जाएगा, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

बी. एसएलआर - पात्र आस्तियां

26. प्रत्येक प्राथमिक सहकारी बैंक भारत में आस्तियों (इसके बाद 'एसएलआर आस्ति' के रूप में संदर्भित) को बनाए रखेंगे, जिसका मूल्य किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की विधि के अनुसार दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम दिन को भारत में उनकी कुल निवल मांग और मीयादी देयताएँ के 18 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

सी. सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

27. रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत बैंकों के पास रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) योजना में भाग लेने का विकल्प होगा। इस योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- (1) पात्र बैंकों के पास दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंत में अपने संबंधित एनडीटीएल बकाया के दो प्रतिशत तक उधार लेने का विकल्प होगा।
- (2) पात्र संस्थाएं भी इस सुविधा के तहत अपनी अतिरिक्त एसएलआर होल्डिंग्स के विरुद्ध एकदिवसीय निधि का उपयोग करना जारी रख सकेंगी।
- (3) बैंकों की एसएलआर होल्डिंग उनके एनडीटीएल के दो प्रतिशत तक सांविधिक आवश्यकता से कम होने की स्थिति में, बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 की उप धारा (2ए) के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार इस सुविधा के उपयोग से उत्पन्न होने वाले एसएलआर अनुपालन में चूक के लिए एक विशिष्ट छूट प्राप्त करने का दायित्व नहीं होगा।

डी. एसएलआर आस्तियां

28. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक द्वारा एसएलआर आस्तियों का रखरखाव निम्नानुसार किया जाएगा:

- (1) नकद, या;

(2) सोना, जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) (1949 का 10) की धारा 5(जी) में परिभाषित किया गया है, जिसका मूल्य वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक नहीं है, या;

(3) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5(ए) के साथ पठित धारा 56 में परिभाषित अनुमोदित प्रतिभूतियों में भाररहित निवेश:

बशर्ते कि ऐसे लिखत, जिन्हें रिजर्व रेपो के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से अधिग्रहित किया गया है, एसएलआर रखरखाव के लिए पात्र आस्तियों के रूप में माने जाएंगे।

बशर्ते आगे कि निम्नलिखित एसएलआर-प्रतिभूतियों को एसएलआर आस्ति के रखरखाव के उद्देश्य से भारग्रस्त नहीं माना जाएगा, अर्थात्

- (i) अग्रिम या किसी अन्य क्रेडिट व्यवस्था के लिए किसी अन्य संस्था के पास जमा की गई प्रतिभूतियां, जिस सीमा तक ऐसी प्रतिभूतियों के विरुद्ध आहरित या लाभ नहीं उठाया गया है;
- (ii) सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत भारत में कुल एनडीटीएल के अनुमेय प्रतिशत तक चलनिधि सहायता प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक को संपार्श्विक के रूप में दी गई प्रतिभूतियां, जो संबंधित बैंक के आवश्यक एसएलआर पोर्टफोलियो से निकाली गई हों;
- (iii) आरबीआई-एलएएफ और बाजार रेपो लेनदेन के तहत बैंकों द्वारा अर्जित प्रतिभूतियाँ।

(4) स्पष्टीकरण- इस निदेश के उद्देश्य के लिए

- (i) ग्राहकों की सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) सुविधाओं के तहत भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) के साथ रखे गए बैंक के गिल्ट खाते में दर्ज प्रतिभूतियों को संबंधित बैंक द्वारा किसी भी दिन के अंत में बिना भार के एसएलआर उद्देश्यों के लिए माना जा सकता है।
- (ii) सरकारी प्रतिभूतियों में त्रिपक्षीय रेपो सहित रेपो के तहत उधार ली गई निधियों को सीआरआर/एसएलआर गणना से छूट दी जाएगी और रेपो के तहत अर्जित प्रतिभूति एसएलआर के लिए पात्र होगी, बशर्ते कि प्रतिभूति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक रूप से एसएलआर के लिए पात्र हो जिसके तहत इसे बनाए रखने की आवश्यकता है।
- (iii) कॉर्पोरेट बॉन्ड और डिबेंचर में रेपो के माध्यम से किसी बैंक द्वारा उधार को आरक्षित नकदी निधि अनुपात / सांविधिक चलनिधि अनुपात की आवश्यकता के लिए देयताओं के रूप में माना जाएगा और बैंकिंग प्रणाली के लिए ये देयताएँ जिस मात्रा में हैं, उन्हें आरबीआई अधिनियम, 1934 के धारा 42 (1)(डी) के अनुसार निवल किया जाएगा।
- (iv) सभी बैंक केवल रिज़र्व बैंक के सहायक सामान्य खाता-बही (एसजीएल) खातों में या अनुसूचित

वाणिज्यिक बैंकों, प्राथमिक डीलरों (पीडी), राज्य सहकारी बैंकों और स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) के सीएसजीएल खातों में या नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), केन्द्रीय प्रतिभूति सेवाएँ लिमिटेड (सीडीएसएल), और भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लि. (एनएससीसीएल) जैसे निक्षेपागार के अमूर्तकृत खातों में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश बनाए रखेंगे।

- (v) बैंकों को फॉर्म 1 में आरबीआई के पास अपने द्वारा रखे गए एसडीएफ शेषराशि की रिपोर्ट करनी होगी, क्योंकि यह एसएलआर रखरखाव के लिए एक योग्य आस्ति है। एसडीएफ के तहत बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखी गई शेष राशि आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) रखरखाव के लिए पात्र नहीं होगी। इसके अलावा, अनुसूचित बैंकों को फॉर्म बी रिटर्न में आरबीआई के पास उनके द्वारा रखे गए एसडीएफ शेष की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

(5) नोट:

- (i) सरकारी प्रतिभूति की एसएलआर स्थिति के बारे में सूचना प्रसारित करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि:

(ए) भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों की एसएलआर स्थिति प्रतिभूतियां जारी करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में दर्शाई जाएगी; तथा,

(बी) एसएलआर प्रतिभूतियों की एक अद्यतन और वर्तमान सूची रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर "सांख्यिकी" शीर्ष के तहत "भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस" लिंक के तहत पोस्ट की जाएगी।

- (ii) नकद प्रबंधन बिल को भारत सरकार के ट्रेजरी बिल के रूप में माना जाएगा और इस प्रकार इसे एसएलआर प्रतिभूति के रूप में माना जाएगा।

⁴ दिनांक 22 जनवरी 2026 के भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) संशोधन निदेश 2026 द्वारा 22 जनवरी 2026 को संशोधित किया गया।

अध्याय IV - एसएलआर की गणना के लिए प्रक्रिया

ए. एसएलआर के लिए एनडीटीएल की गणना

29. एसएलआर के लिए एनडीटीएल की गणना की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

- (1) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 (2ए) के तहत एसएलआर के प्रयोजन के लिए कुल एनडीटीएल की गणना सीआरआर के लिए अपनाई गई समान प्रक्रिया पर की जाएगी।
- (2) इन निदेशों की पैराग्राफ 20 के तहत उल्लिखित देयताएँ एसएलआर के उद्देश्य के लिए भी देयताओं का हिस्सा नहीं होंगी।
- (3) बैंक एसएलआर उद्देश्य के लिए एनडीटीएल की गणना के लिए 'बैंकिंग प्रणाली के साथ आस्ति' में सावधि जमा की अपनी अंतर-बैंक आस्ति और सभी परिपक्वता अवधि के ऋण को शामिल करेंगे।
- (4) इसके अतिरिक्त, पैरा 21(3) और (4) में उल्लिखित देयताओं को एसएलआर आवश्यकता से छूट दी गई है।

बी. एसएलआर पात्र प्रतिभूतियों का वर्गीकरण और मूल्यांकन

30. अनुमोदित प्रतिभूतियों का वर्गीकरण और मूल्यांकन [भारतीय रिज़र्व बैंक \(शहरी सहकारी बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन\) निदेश 2025](#) में यथा लागू मौजूदा अनुदेशों के अनुसार होगा।

अध्याय V - रिपोर्टिंग

ए. फॉर्म बी/ फॉर्म I में पाक्षिक सीआरआर रिटर्न

31. आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के तहत, प्रत्येक अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक उपर्युक्त रिटर्न फॉर्म 'बी' ([अनुबंध - I](#)) में प्रत्येक पखवाड़े के अंतिम दिन कारोबार की समाप्ति पर, संबंधित तिथि के पांच दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा।

32. जहां इस तरह के प्रत्येक पखवाड़े का अंतिम दिन बैंक के एक या अधिक कार्यालयों के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश है, ऐसे कार्यालय या कार्यालयों के संबंध में पिछले कार्य दिवस के आंकड़े के कारोबार की समाप्ति पर रिटर्न दिया जाएगा, लेकिन फिर भी इसे ऐसे पखवाड़े के अंतिम दिन से संबंधित माना जाएगा।

33. ⁵[हटाया गया]

34. ⁶[हटाया गया]

35. प्रत्येक सहकारी बैंक, जो अनुसूचित सहकारी बैंक नहीं है, को फॉर्म I ([अनुबंध - II](#)) में परिशिष्ट I के साथ रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को, उस माह की समाप्ति के 20 दिन के भीतर जिससे यह संबंधित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ माह के दौरान प्रत्येक पखवाड़े के अंतिम दिन को कारोबार की समाप्ति पर बैंक द्वारा बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 18 के साथ पठित धारा 56 तहत रखे गए नकदी भंडार की स्थिति को दर्शाने वाला रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। जहां ऐसा वैकल्पिक शुक्रवार बैंक के एक या अधिक कार्यालयों के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश है, वहां रिटर्न में ऐसे कार्यालय या कार्यालयों के संबंध में पूर्ववर्ती दिन का आंकड़ा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी उसे उस पखवाड़े के अंतिम दिन से संबंधित माना जाएगा।

36. गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक परिशिष्ट I में, दिए गए प्रपत्र के अनुसार, फॉर्म I में रिटर्न के साथ, निम्नलिखित की स्थिति दर्शाते हुए विवरण प्रस्तुत करेंगे:

(1) बीआर अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 18 के तहत बनाई रखी जाने वाली आरक्षित नकदी निधि।

(2) वास्तव में रखी गई आरक्षित निधि, और

⁵दिनांक 11 दिसंबर 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) (संशोधन) निदेश 2025 द्वारा 15 दिसंबर 2025 को हटाया गया।

⁶दिनांक 11 दिसंबर 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) (संशोधन) निदेश 2025 द्वारा 15 दिसंबर 2025 को हटाया गया।

(3) माह के प्रत्येक दिन के लिए घाटे/अधिशेष की मात्रा, यदि कोई हो।

37. जब कभी पाक्षिक रिटर्न में रिपोर्ट की गई निधियों के स्रोतों और उपयोगों के बीच व्यापक भिन्नताएं हों और भिन्नताएं 20 प्रतिशत से अधिक हों, तो संबंधित बैंकों को रिटर्न में इसके लिए कारण देना चाहिए।

38. अनुसूचित बैंक विनियमावली 1951 के विनियम 5(i)(सी) और बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियां) नियमावली 1966 के विनियमन 4(1) के अनुसार, बैंकों को बैंकों की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के नाम, पदनाम और नमूना हस्ताक्षर की सूची, आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 42(2) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 और 24 के तहत निर्धारित रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है। जब भी पदभार में परिवर्तन होता है, बैंक को रिज़र्व बैंक को हस्ताक्षरों का नया सेट प्रस्तुत करना होता है।

38 ए. बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत संशोधित नई रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार, अंतिम या अंतिम या विशेष फॉर्म ए रिटर्न नहीं होगा। बैंकों को केवल एक ही फॉर्म बी रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। फॉर्म बी और फॉर्म I के नए संस्करण नए रिटर्न कोड के साथ केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) पोर्टल पर उपलब्ध हैं। बैंकों को 15 दिसंबर 2025 से पाक्षिक फॉर्म बी रिटर्न और दिसंबर 2025 से मासिक फॉर्म I रिटर्न सीआईएमएस पोर्टल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

38 बी. 16-31 दिसंबर 2025 के पखवाड़े और जनवरी 2026 के पहले पखवाड़े (अर्थात् 1-15 जनवरी 2026) के दौरान सीआरआर और एसएलआर का रखरखाव बैंकों द्वारा क्रमशः 28 नवंबर 2025 और 15 दिसंबर 2025 को निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के आधार पर किया जाना है। 16 जनवरी, 2026 से शुरू होने वाले आगामी पखवाड़ों से, रखरखाव वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम दिन के एनडीटीएल के आधार पर।

38 सी. तीन दिनों की संक्रमण अवधि के दौरान, अर्थात् 13-15 दिसंबर 2025 के दौरान, बैंकों द्वारा 28 नवंबर 2025 तक की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के आधार पर सीआरआर और एसएलआर का रखरखाव किया जाना है। इसके अलावा, बैंकों को संक्रमण काल के दौरान आवश्यक सीआरआर के सौ प्रतिशत का न्यूनतम सीआरआर बनाए रखना होगा। बैंकों को 12 दिसंबर 2025 के लिए फॉर्म बी रिटर्न भी मौजूदा रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा,

⁷ दिनांक 11 दिसंबर 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) (संशोधन) निदेश 2025 द्वारा 15 दिसंबर 2025 को जोड़ा गया।

⁸ दिनांक 11 दिसंबर 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) (संशोधन) निदेश 2025 द्वारा 15 दिसंबर 2025 को जोड़ा गया।

⁹ दिनांक 11 दिसंबर 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) (संशोधन) निदेश 2025 द्वारा 12 दिसंबर 2025 को जोड़ा गया।

बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे दिसंबर 2025 का फॉर्म। रिटर्न पुराने और नए दोनों रिटर्न कोड के साथ सीआईएमएस पोर्टल पर प्रस्तुत करें।

बी. फॉर्म। (एसएलआर) में रिटर्न

39. सभी सहकारी बैंकों (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 24 के अंतर्गत प्रत्येक माह फॉर्म। ([अनुबंध - II](#)) में रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें उक्त धारा के अंतर्गत रखी गई चलनिधि आस्तियों की स्थिति को माह के दौरान प्रत्येक पखवाड़े के अंतिम दिन कारोबार बंद होने के समय दर्शाया जाएगा, जो कि संबंधित माह की समाप्ति के बाद बीस दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

नोट: गैर-अनुसूचित यूसीबी के संबंध में, आरक्षित नकदी निधि और सांविधिक चलनिधि आस्तियों की रिपोर्टिंग के लिए फॉर्म। में रिटर्न समान है।

40. सभी प्राथमिक सहकारी बैंक (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) परिशिष्ट II में, दिए गए प्रपत्र के अनुसार, फॉर्म। में रिटर्न के साथ, निम्नलिखित की स्थिति दर्शाते हुए विवरण प्रस्तुत करेंगे -

(1) बीआर अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 24 के तहत बनाई रखी जाने वाली सांविधिक चलनिधि आस्तियां।

(2) वास्तव में बनाए रखी गई चलनिधि आस्तियां, और

(3) माह के प्रत्येक दिन के लिए घाटे/अधिशेष की मात्रा, यदि कोई हो।

41. सभी प्राथमिक सहकारी बैंकों (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) को एसएलआर के लिए प्रतिभूतियों के मूल्यांकन संबंधी जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसका प्रारूप फॉर्म। के परिशिष्ट III में दिया गया है। मासिक रिटर्न में संबंधित महीनों के बाद के पखवाड़ों की जानकारी शामिल होनी चाहिए।

सी. एनडीटीएल की गणना की सटीकता को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना

42. सांविधिक लेखा परीक्षक यह सत्यापित और प्रमाणित करेंगे कि बैंक की बहियों के अनुसार बाह्य देयताओं की सभी मदें बैंक द्वारा विधिवत संकलित की गई हैं तथा वित्तीय वर्ष के लिए रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत पाक्षिक/मासिक सांविधिक रिटर्न में एनडीटीएल के अंतर्गत सही ढंग से दर्शाई गई हैं।

डी. चलनिधि की दैनिक स्थिति के लिए रजिस्टर

43. सभी सहकारी बैंक [अनुबंध - III](#) में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक रजिस्टर बनाए रखेंगे, जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 और 24 के साथ पठित धारा 56 के तहत रखी गई

आरक्षित नकदी निधि और चलनिधि आस्तियों की दैनिक स्थिति दी जाएगी, जिसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी को दैनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, जो प्रतिदिन कारोबार की समाप्ति पर सांविधिक चलनिधि आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

अध्याय VI – दंड

ए. सीआरआर रखरखाव में चूक के लिए दंड

44. यदि किसी पखवाड़े के दौरान बैंक द्वारा धारित आरक्षित नकदी निधि (सीआरआर) का दैनिक शेष इन निदेशों के तहत या इसके द्वारा निर्धारित न्यूनतम से कम है, तो प्रत्येक बैंक नीचे उल्लिखित दंडात्मक ब्याज का भुगतान रिज़र्व बैंक को करने के लिए उत्तरदायी है।

(1) अनुसूचित प्राथमिक(शहरी) सहकारी बैंक से निर्धारित सीआरआर के रखरखाव में कमी की स्थिति में उस दिन के लिए दैनिक आधार पर बैंक दर से तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा, जो उस दिन निर्धारित न्यूनतम से वास्तव में कम रखी गई राशि पर लागू होगा और यदि कमी अगले दिन/दिनों तक जारी रहती है, तो बैंक दर से पांच प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा।

(2) पखवाड़े के दौरान औसत आधार पर सीआरआर के रखरखाव में कमी के मामलों में, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (3) में परिकल्पित अनुसार दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा।

(3) सहकारी बैंक के मामले में, जो अनुसूचित सहकारी बैंक नहीं है, यदि बैंक द्वारा बनाए रखा गया सीआरआर का दैनिक शेष निर्धारित न्यूनतम सीआरआर से कम हो जाता है तो बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 की उपधारा (1-ए) में परिकल्पित दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

45. बैंकों को अपेक्षित सीआरआर के रखरखाव में चूक की तारीख, राशि, प्रतिशत, कारण तथा ऐसी चूक की पुनरावृत्ति से बचने के लिए की गई कार्रवाई जैसे विवरण प्रस्तुत करने होंगे।

46. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(3ए) के प्रावधानों के तहत, बैंक दर से पांच प्रतिशत अधिक की बढ़ी हुई दर पर दंडात्मक ब्याज देय हो जाता है और यदि अगले पखवाड़े के दौरान भी चूक जारी रहती है:

(1) अनुसूचित बैंक का प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक या सचिव जो जानबूझकर और इरादतन चूक में भागीदार है, उसे ₹500 तक के जुर्माने से तथा चूक जारी रहने के दौरान प्रत्येक आगामी पखवाड़े के लिए ₹500 तक के अतिरिक्त जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

(2) रिज़र्व बैंक किसी अनुसूचित बैंक को उक्त पखवाड़े के बाद कोई नई जमा राशि प्राप्त करने से रोक सकता है और यदि बैंक द्वारा इस खंड में निर्दिष्ट निषेध का अनुपालन करने में चूक की जाती है, तो बैंक

का प्रत्येक निदेशक और अधिकारी जो जानबूझकर और इरादतन ऐसी चूक का पक्षकार है या जो लापरवाही से या अन्यथा ऐसी चूक में शामिल है, ऐसे प्रत्येक चूक के संबंध में जुर्माना, जो ₹500 तक हो सकता है और पहले दिन के बाद इस तरह के निषेध के उल्लंघन में प्राप्त जमा राशि को अनुसूचित बैंक द्वारा बरकरार रखा जाता है, के प्रत्येक दिन के लिए आगे का जुर्माना, जो ₹500 तक हो सकता है, के साथ दंडनीय होगा।

47. रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता/रिटर्न देर से जमा करने पर आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 42(4) के प्रावधान लागू होंगे और बैंकों पर इसमें उल्लिखित दंड लगाया जा सकता है।

गैर-अनुसूचित सहकारी बैंकों के मामले में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 और 24 के साथ पठित धारा 56 के तहत निर्धारित सांविधिक रिटर्न समय पर प्रस्तुत करने में विफल रहने पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के प्रावधान लागू होते हैं और बैंक पर इसमें इंगित अनुसार दंड लगाया जा सकता है।

बी. एसएलआर रखरखाव में चूक के लिए दंड

48. बैंक द्वारा एसएलआर की राशि को किसी भी दिन बनाए रखने में विफल होने पर, बैंक उस चूक के संबंध में रिज़र्व बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 24 के तहत परिकल्पित दंडात्मक ब्याज है।

49. निर्धारित रिटर्न समय पर प्रस्तुत न करने पर उक्त अधिनियम की धारा 46(4) के प्रावधान लागू होंगे।

50. जहां यह पाया गया है कि अनुदेशों और बार-बार सूचित करने के बावजूद बैंक लगातार चूक कर रहे हैं, वहां रिज़र्व बैंक ऐसे चूककर्ता बैंकों पर जुर्माना लगाने के अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त बैंकों के मामले में लाइसेंस रद्द करने और गैर-लाइसेंस प्राप्त बैंकों के मामले में लाइसेंस देने से इनकार करने पर विचार करने कर सकता है। अतः बैंकों को अपने हित में निर्धारित दरों पर सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाए रखना सुनिश्चित करना चाहिए और रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अपेक्षित रिटर्न शीघ्रता से प्रस्तुत करना चाहिए।

अस्वीकरण: एतद्वारा यह सलाह दी जाती है कि उक्त मास्टर निदेश में केवल किसी मद को शामिल करने का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि किसी बैंकिंग संस्था द्वारा ऐसी सभी गतिविधियों को करने की अनुमति दी गई है।

अध्याय VII – निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचाव

51. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही, शहरी सहकारी बैंकों पर लागू आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो गए हैं, जैसा कि [दिनांक 28 नवंबर 2025 के परिपत्र वि.वि.आर.आर.सी.आर.ई.सी.302/33-01-010/2025-26](#) के माध्यम से सूचित किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त बने रहेंगे।

52. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के अंतर्गत की गई या की जाने वाली या आरंभ की गई कोई भी कार्रवाई, उनके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के अंतर्गत दिए गए सभी अनुमोदन या अभिस्वीकृतियाँ इन निदेशों द्वारा शासित मानी जाएँगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से निम्नलिखित पर किसी भी तरह से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

- i. इसके अंतर्गत अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;
- ii. इसके अंतर्गत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई जुर्माना, जब्ती या दंड;
- iii. किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माना, जब्ती या पूर्वोक्त दंड के संबंध में कोई जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार; और ऐसी कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है जैसे कि इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

53. इन निदेशों के प्रावधान वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिकूल।

सी. व्याख्याएं

54. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे तो,

इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की दी गई व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(मनोरंजन पाटी)

मुख्य महाप्रबंधक

फॉर्म 'बी'

(अनुसूचित सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

पखवाड़े के अंतिम दिन @----- को कारोबार समाप्ति पर स्थिति का विवरण
(निकटतम हज़ार रुपए में पूर्णांकित किया जाए)

बैंक का नाम :

I. भारत में बैंकिंग प्रणाली के लिए देयताएं *

(ए) बैंकों से मांग और सावधि जमा *

(i) मांग

(ii) सावधि

(बी) बैंकों से उधार *

(सी) अन्य मांग और मीयादी देयताएं @@

I का कुल

II. भारत में अन्यो के लिए देयताएं

(ए) समग्र जमा (बैंकों से प्राप्त धनराशि को छोड़कर* और राज्य सहकारी बैंक के कार्यक्षेत्र में किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा रखी गई आरक्षित निधि या उसके किसी भाग को दर्शाने वाली किसी भी जमा धनराशि को छोड़कर)

(i) मांग

(ii) सावधि

(बी) उधार (भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय बैंक, एक्विजिब बैंक, राज्य सरकार और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय आवास बैंक, लघु उद्योग बैंक, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक या अन्य विकास वित्तीय संस्थान, संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक या संबंधित जिले के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अलावा)

(सी) अन्य मांग और सावधि देयताएं

II का कुल

I + II का कुल

III. भारत के बैंकिंग प्रणाली में आस्तियां *

- (ए) बैंकों के पास शेष राशि*
 - (i) चालू खाते में
 - (ii) अन्य खातों में
- (बी) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
- (सी) बैंकों को अग्रिम* अर्थात् बैंकों से बकाया*
- (डी) अन्य आस्तियां

III का कुल

IV. भारत में नकद (अर्थात्, हाथ में नकदी)

V. भारत में निवेश (बही मूल्य पर)

- (ए) केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां जिनमें ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी डिपॉजिट रसीद, ट्रेजरी बचत जमा प्रमाणपत्र और डाक बाध्यताएं शामिल हैं
- (बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

V का कुल

VI. भारत में बैंक क्रेडिट (अंतर-बैंक अग्रिमों को छोड़कर)

- (ए) ऋण, नकद क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट
- (बी) खरीदे गए और भुनाए गए अंतर्देशीय बिल
 - (i) खरीदे गए बिल
 - (ii) भुनाए गए बिल
- (सी) खरीदे गए और भुनाए गए विदेशी बिल
 - (i) खरीदे गए बिल
 - (ii) भुनाए गए बिल

VI का कुल

III+IV+V+VI का कुल

ए.	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के उद्देश्य से निवल देयताएं = बैंकिंग प्रणाली के निवल देयताएं + भारत में अन्यो के लिए देयताएं	यदि (I-III) गुणात्मक है तो (I-III) + II या (I-III) ऋणात्मक है तो केवल II
बी.	अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाने वाली न्यूनतम जमाराशि (निकटतम रुपये में पूर्णांकित)	= ₹
सी.	बचत बैंक खाता (विनियमन 7 द्वारा)	
	भारत में मांग देयताएं	
	भारत में सावधि देयताएं	

ह/-
अधिकारियों के हस्ताक्षर

1. (पदनाम) _____
2. (पदनाम) _____

स्थान:

दिनांक:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से भारत में उधार

धारा:

- (i) 17(2)(ए)
- (ii) 17(2)(बी) या (4)(सी)
- (iii) 17(2)(बीबी) या (4)(सी)
- (iv) 17(4)(सी)
- (v) 17(4)(ए)

मद (1) का कुल योग

2.

निम्न से उधार

(i) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा के तहत राष्ट्रीय बैंक :

(ए) 21

(बी) 22

(सी) 23

(डी) 24

(ई) 25

(ii) भारतीय स्टेट बैंक

(iii) अन्य बैंक

(iv) राज्य सरकार

(v) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

(vi) भारतीय निर्यात-आयात बैंक

(vii) राष्ट्रीय आवास बैंक

(viii) लघु उद्योग बैंक

(ix) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

(x) अन्य विकास वित्तीय संस्थान

(xi) संबंधित राज्य का राज्य सहकारी बैंक

(xii) संबंधित जिले का जिला केंद्रीय सहकारी बैंक

मद (2) का कुल

3. **भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि**

फुटनोट

अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को भी उसी प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

@ जहां पखवाड़े के अंतिम दिन किसी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक के एक या एक से अधिक कार्यालयों के लिए पराक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 के 26) के तहत एक सार्वजनिक अवकाश है, ऐसे कार्यालय या कार्यालयों के संबंध में रिटर्न पिछले कार्य दिवस का आंकड़ा दे देंगे, लेकिन फिर भी उस पखवाड़े के अंतिम दिन से संबंधित माना जाएगा।

* रिटर्न में जहां भी "बैंकिंग प्रणाली" या "बैंक" शब्द का उल्लेख किया गया है, उसका तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के नीचे स्पष्टीकरण के खंड (ई) के विनियम (i) से (v) में निर्दिष्ट बैंकों और किसी अन्य वित्तीय संस्थान से है।

@ यदि II (सी) से अलग I (सी) का आंकड़ा प्रदान करना संभव नहीं है, तो इसे II(सी) में शामिल किया जा सकता है। ऐसे मामले में, यदि @ कुल 1(ए) और 1(बी) के कुल III के कुल से अधिक है तो बैंकिंग प्रणाली के लिए निवल देयता को अतिरिक्त के रूप में तैयार किया जाएगा।

फॉर्म I

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 फॉर्म - I

(नियम 5 देखें)

[धारा 18(1) और 24(3)] [पैरा द्वारा]

गैर-अनुसूचित सहकारी बैंकों के लिए सीआरआर
एसएलआर – सभी प्राथमिक सहकारी बैंक (अनुसूचित और गैर-
अनुसूचित)

सहकारी बैंक का नाम :

रिटर्न प्रस्तुत करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम :

..... माह के लिए भारत में मांग और सावधि देयताओं का विवरण तथा भारत में
नकदी, स्वर्ण और भाररहित प्रतिभूतियों में रखी गई राशि

इस रिटर्न में विभिन्न मदों की राशि की गणना, जहां आवश्यक हो, रिटर्न के अंत में फुटनोट में दर्शाए गए
समायोजनों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए।

<i>(निकटतम हजार रुपयों तक पूर्णांकित)</i>			
	निम्नलिखित दिन कारोबार की समाप्ति पर		
	महीने का पंद्रहवां दिन	महीने का आखिरी दिन	
1	2	3	
भाग – क			
I.	भारत में बैंकिंग प्रणाली\$ के प्रति देयताएं(£)		

(ए)	मांग देयताएं			
	(i)	भारतीय स्टेट बैंक, संबंधित नए बैंकों और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा सहकारी बैंक के साथ रखे गए चालू खातों में जमा शेष राशि का कुल योग		
	(ii)	बैंकिंग प्रणाली के लिए अन्य मांग देयताओं का कुल योग		
(बी)	बैंकिंग प्रणाली के लिए मीयादी देयताएं			
I का कुल जोड़				
II.	भारत में अन्यो के प्रति देयताएँ X			
(ए)	मांग देयताएँ			
(बी)	मीयादी देयताएँ			
II का कुल जोड़				
III.	भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति आस्तियां			
(ए)	भारतीय स्टेट बैंक, संबंधित नए बैंकों और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पास रखे गए चालू खातों में कुल जमा शेष (%)			
(बी)	बैंकिंग प्रणाली के पास अन्य आस्तियों का योग, अर्थात्, (i) मद III (ए) में शामिल खातों के अलावा अन्य सभी खातों में शेष, (ii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि, (iii) अग्रिम, और (iv) कोई अन्य आस्तियां।			
IV.	अधिनियम की धारा 18 और 24 के प्रयोजनों के लिए कुल (निवल) मांग और मीयादी देयताएं = (I-III) + II, यदि (I-III) धनात्मक आंकड़ा है, या केवल II, यदि (I-III) ऋणात्मक आंकड़ा है।			
V.	हाथ में नकदी (६)			
VI.	चालू खातों में शेष राशि			
(ए)	भारतीय रिज़र्व बैंक ++			
(बी)	संबंधित राज्य का राज्य सहकारी बैंक(+)			
(सी)	संबंधित जिले का जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (%)			

	VI का कुल		
VII	निम्नलिखित के साथ अन्य सभी प्रकार की शेष राशि		
	(ए) राज्य का राज्य सहकारी बैंक		
	(बी) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक		
	VII का कुल		
VIII	चालू खातों में निवल शेष, अर्थात् III(ए) में I(ए)(i) से अतिरिक्त राशि		
भाग - ख			जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है
धारा 18 का अनुपालन			
(अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों पर लागू नहीं)			
IX.	रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम दिन को IV का निर्धारित प्रतिशत	}	
		}	
		}	
		}	
		}	
		}	
X.	वास्तव में रखी गई आरक्षित नकदी निधि = V + VI + VIII	}	
भाग - ग : धारा 24 का अनुपालन :			
(अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों पर लागू नहीं)			
XI.	रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम दिन को IV का निर्धारित प्रतिशत	}	
		}	
		}	
XII.	वास्तव में रखी गई आस्तियां	}	
	(ए) भारत में रखी गई नकदी और अन्य शेष राशि X- IX + VII	}	
	(बी) सोना ££	}	
	(सी) भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियाँ \$\$	}	
	XII का कुल		

भाग -घ : धारा 24 का अनुपालन :			
(अनुसूचित/राज्य सहकारी बैंकों पर लागू)			
XIII	रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम दिन को IV का निर्धारित प्रतिशत		
XIV	वास्तव में रखी गई आस्तियां		
	(ए) हाथ में नकदी		
	(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के तहत बनाए रखने के लिए आवश्यक शेष राशि से अधिक भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखा गया शेष [अर्थात्, VI(ए)]		
	(सी) चालू खातों में निवल शेष (अर्थात्, VIII)		
	(डी) सोना ££		
	(ई) भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियाँ \$\$		
	(एफ) स्थायी जमा सुविधा योजना के अंतर्गत रिज़र्व बैंक में जमा की गई राशि		
	(जी) निम्न के साथ अन्य सभी प्रकार के शेष :		
	(i) संबंधित राज्य का राज्य सहकारी बैंक (+)		
	(ii) संबंधित जिले का जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (X)		

XIV का कुल

ह/-

हस्ताक्षर

दिनांक:

फुटनोट

1. इस फॉर्म में रिटर्न, जिस महीने से वह संबंधित है, उसके समाप्त होने के 15 दिन के भीतर, अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर लागू) की धारा 24 के तहत और अन्य "सहकारी बैंकों" द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 और 24 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना है।
2. यदि पखवाड़े के अंतिम दिन को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन अवकाश हो तो पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कारोबार की समाप्ति पर आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- £. इस रिटर्न के प्रयोजनों के लिए, "भारत में देयताएं" में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे:
 - (i) सहकारी बैंक के लाभ और हानि खाते में चुकता पूंजी या आरक्षित निधि या कोई जमा शेष -
 - (ii) राज्य सहकारी बैंक या जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के मामले में, उनके कार्यक्षेत्र में किसी अन्य सहकारी सोसाइटी द्वारा उनके पास रखी गई आरक्षित निधि या उसके किसी भाग को दर्शाने वाली कोई जमा धनराशि;
 - (iii) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के मामले में, संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक से लिया गया कोई अग्रिम;
 - (iv) किसी प्राथमिक सहकारी बैंक द्वारा संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक या संबंधित जिले के जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से लिया गया कोई अग्रिम;
 - (v) किसी सहकारी बैंक द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध आहरित या लिया गया अग्रिम या अन्य ऋण व्यवस्था की राशि;
 - (vi) किसी सहकारी बैंक के मामले में जिसने अपने पास रखे गए किसी शेष के विरुद्ध अग्रिम दिया है, ऐसे अग्रिम के संबंध में बकाया राशि की सीमा तक ऐसा शेष।
- \$ इस रिटर्न के प्रयोजन के लिए, "बैंकिंग प्रणाली" शब्द में निम्नलिखित बैंक और वित्तीय संस्थान शामिल होंगे, अर्थात्
 - (i) भारतीय स्टेट बैंक

- (ii) संबंधित नए बैंक या आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
 - (iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
 - (iv) बैंकिंग कंपनियां;
 - (v) अन्य वित्तीय संस्थाएं, यदि कोई हों, जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर लागू) की धारा 18 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया गया हो।
- X. इस रिटर्न के प्रयोजन के लिए, "भारत में अन्य के प्रति देयताओं" में राज्य सरकार, रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, लघु उद्योग बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या राष्ट्रीय सहकारी विकास अधिनियम, 1962 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिए गए उधार शामिल नहीं होंगे।
- % (i) सहकारी बैंक द्वारा किसी अन्य बैंक के पास रखी गई कोई भी शेष राशि, जो उस सीमा तक, जहां तक वह शेष राशि ऐसे सहकारी बैंक के कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि के निवेश को दर्शाती है, भारत में रखी गई नकदी नहीं मानी जाएगी।
- (ii) यदि सहकारी बैंक ने संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक या संबंधित जिले के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के पास रखी गई किसी शेष राशि पर अग्रिम लिया है, तो ऐसी शेष राशि, जिस सीमा तक उसके विरुद्ध आहरित की गई है या जिसका उपयोग किया गया है, भारत में रखी गई ऐसी नकदी नहीं मानी जाएगी।
- & (i) इस रिटर्न के प्रयोजन के लिए, किसी सहकारी बैंक के पास रखी गई कोई नकदी, उस सीमा तक, जहां तक वह नकदी ऐसे सहकारी बैंक के कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि में शेष राशि को दर्शाती है, भारत में रखी गई नकदी नहीं मानी जाएगी।
- (ii) नकदी में बैंक/करेंसी नोट, रुपया सिक्का (एक रुपया नोट सहित) और इस रिटर्न की तारीख पर चालू सहायक सिक्कों के अलावा अन्य बैंकों में जमा शेष या कोई अन्य मद शामिल नहीं होनी चाहिए।
- ++ अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों को यहां केवल भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाने वाली अपेक्षित शेष राशि से अधिक राशि ही दर्शानी चाहिए।
- + केवल राज्य औद्योगिक सहकारी बैंकों, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिला औद्योगिक सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी बैंकों पर लागू।
- X केवल प्राथमिक सहकारी बैंकों पर लागू।
- \$\$ (i) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।
- (ii) किसी सहकारी बैंक के कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि की धनराशि के निवेश को दर्शाने वाली अनुमोदित प्रतिभूतियों या उनके किसी भाग को भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियां नहीं माना जाएगा।
- ££ वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

फॉर्म I का परिशिष्ट - I

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

..... माह के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 18 के अंतर्गत आरक्षित नकदी निधि के रखरखाव की दैनिक स्थिति दर्शाने वाला मासिक विवरण

(गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर लागू)

बैंक का नाम :

(रुपए निकटतम हजार तक पूर्णांकित)						
	तारीख	आरक्षित नकदी निधि की राशि		कमी	अधिक	टिप्पणी
		बनाए रखने के लिए आवश्यक	वास्तव में बनाए रखी गई			
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

सीईओ के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

विशेष ध्यान दें : जहां परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन कोई सार्वजनिक अवकाश हो, वहां ऐसे दिन के संबंध में आंकड़े पूर्ववर्ती कार्य दिवस से संबंधित होने चाहिए।

फॉर्म I का परिशिष्ट - II

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

..... माह के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर लागू) की धारा 24 के अंतर्गत चलनिधि आस्तियों के रखरखाव की दैनिक स्थिति दर्शाने वाला मासिक विवरण

[सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (अनुसूचित और गैर-अनुसूचित) पर लागू]

[पैरा...द्वारा]

बैंक का नाम :

(रुपए निकटतम हजार तक पूर्णांकित)						
	तारीख	चलनिधि आस्तियों की राशि		कमी	अधिक	टिप्पणी
		बनाए रखने के लिए आवश्यक	वास्तव में बनाए रखी गई			
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

सीईओ के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

विशेष ध्यान दें : जहां परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन कोई सार्वजनिक अवकाश हो, वहां ऐसे दिन के संबंध में आंकड़े पूर्ववर्ती कार्य दिवस से संबंधित होने चाहिए।

फॉर्म I का परिशिष्ट - III

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

एसएलआर प्रतिभूतियों के मूल्यांकन का विवरण

(..... को समाप्त पखवाड़ा) [पैरा...द्वारा]

बैंक का नाम :

(दो दशमलव तक लाख रुपये)				
विवरण	अंकित मूल्य	बही मूल्य	किया गया मूल्यहास	एसएलआर प्रयोजन के लिए निवल मूल्य (2-3)
भाग I	1.	2.	3.	4.
सरकारी प्रतिभूतियाँ				
प्रारंभिक शेष				
पखवाड़े के दौरान वृद्धि (+)				
पखवाड़े के दौरान कटौती (-)				
अंतिम शेष (ए)				
भाग II				
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ				
प्रारंभिक शेष				
पखवाड़े के दौरान वृद्धि (+)				
पखवाड़े के दौरान कटौती (-)				
अंतिम शेष (बी)				
कुल (ए+बी)				

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 और 24 के अंतर्गत आरक्षित नकदी निधि और चलनिधि
आस्तियों की दैनिक स्थिति दर्शाने वाला रजिस्टर

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि
अनुपात (एसएलआर)

(सहकारी सोसाइटियों पर लागू) (प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए)

[पैरा ... द्वारा]

		(निकटतम हजार रुपयों तक पूर्णांकित)																															
		माह और वर्ष																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
भाग – क																																	
I.	भारत में बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं £\$																																
	(ए) मांग देयताएं																																
	(i) भारतीय स्टेट बैंक, संबंधित नए बैंकों और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा सहकारी बैंक के साथ रखे गए चालू खातों में जमा शेष राशि का कुल योग																																
	(ii) बैंकिंग प्रणाली के लिए अन्य मांग देयताओं का कुल योग																																
	(बी) बैंकिंग प्रणाली के लिए मीयादी देयताएं																																
	I का कुल जोड़																																
II.	भारत में अन्यो के प्रति देयताएँ £, X																																

	[अर्थत, VI(ए)]																																
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

